

विधानसभा अतिरंगित प्रश्न क्रमांक 5950 के प्रश्नांश ख. ग एवं घ से संबंधित परिषिक्ष 'अ'

अन्य अखिल भारतीय सेवाओं (अर्थात् भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा) से आरतीय प्रशासनिक सेवा में आयो अधिकारियों के बेतन संरक्षण संबंधी आदेदर्ता पर तथ्यात्मक विविति दर्शाने वाला पत्रक
(प्रश्नांश ख. ग एवं घ से संबंधित)


अनु०	आदेदर्ता अधिकारी नाम एवं वैच	पूर्व सेवा का विभाग	भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति दिनांक [4]	प्राप्त आदेदर्ता पर कार्यवाही-स्वीकृति/कारण [5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	श्री अंशुल गुप्ता (2016)	भारतीय पुलिस सेवा, उत्तरप्रदेश संचर्ज (2012)	दिनांक 29.08.16	प्रकरण में श्री अंशुल गुप्ता के पूर्व पदस्थापना बाते विभाग से प्राचार उपरात पाया गया कि श्री गुप्ता पूर्व सेवा में स्थायी नहीं हुये थे तथा आपसे मैं चयन परिक्षा देने हेतु उनके द्वारा कोई अनुमति नहीं ली गई थी। आपसे बेतन नियम 2016 के नियम (5) अनुसार पूर्व सेवा के बेतन संरक्षण हेतु पूर्व सेवा में स्थायी होना आवश्यक है। श्री अंशुल गुप्ता के आदेदन पर तथ्यात्मक परीक्षण उपरात पाया गया कि उनका पूर्व सेवा में स्थायीकरण न होने से उन्हें बेतन संरक्षण की पावता नहीं है। श्री विवेक कुमार द्वारा अपने आदेदन के साथ उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने के ठीक पूर्व की सेवा भारतीय पुलिस सेवा की रही है जो मात्र 8 माह[5] दिवस की है। आपसे बेतन नियम 2016 के नियम (5) अनुसार पूर्व सेवा के बेतन संरक्षण हेतु पूर्व सेवा में स्थायी होना आवश्यक है। इसके पूर्व वह कक्षा मन्त्रालय के अंतर्गत दिनांक 9.7.12 से 16.12.16 तक सेवा में रहे हैं। इस संबंध में विभाग द्वारा पंजाब शासन गृह एवं न्याय विभाग तथा पुलिस महानिदेशक पंक्ति से प्राचार किया गया। पंजाब सरकार की ओर से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। उन्हर प्राप्त होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।
2.	श्री विवेक कुमार (2017)	1. भारतीय पुलिस सेवा पंजाब शासन,	दिनांक 28.08.17	आपसे बेतन नियम 2016 के नियम (5) अनुसार पूर्व सेवा के बेतन संरक्षण हेतु पूर्व सेवा में स्थायी होना आवश्यक है। उनके द्वारा आपसे से पूर्व की एक और सेवा का की विवरण दिया गया है जो उनके द्वारा दिनांक 22.12.14 से दिनांक 16.12.16 तक भारतीय राजस्व सेवा के अंतर्गत की गई है। इस संबंध में विभाग को होम एण्ड हिल अफेयर्स डिपार्टमेंट परिचय कंगाल सरकार से प्राप्त जानकारी अनुसार श्री मीना द्वारा परिचय बंगाल सरकार में कार्यकार्ता गृहन की दिया गया। विभाग के पत्र दि. 29.08.2020 द्वारा भारत सरकार गृह मंत्रालय से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायीकरण बाबत जानकारी चाही गई जो अप्राप्त है। जानकारी प्राप्त होने के पश्चात नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।
3.	श्री शेर सिंह भीना (2017)	1. भारतीय पुलिस सेवा पश्चिमी बंगाल संचर्ज (2016)	दिनांक 28.08.2017	निरन्तर

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक ५९५० के प्रश्नांश ख, ग एवं घ से संबंधित परिशिष्ट 'अ'

अन्य अखिल भारतीय सेवाओं (अन्यतः भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय बन सेवा) से आरतीय प्रशासनिक सेवा में आये अधिकारियों के वेतन संरक्षण संबंधी आदेदां पर तथ्यात्मक स्थिति दर्शाने वाला प्रक्रम

(प्रश्नांश ख, ग एवं घ से संबंधित)

अनु०	आदेदार्ता अधिकारी नाम एवं देव	पूर्ण सेवा का विभाग	आरतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति दिनांक	प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही-स्वीकृति/कारण
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4	श्री जोहित बुंदस (2011)	आरतीय पुलिस सेवा झारखण्ड	दिनांक 29-08-2011	श्री जोहित बुंदस आपसे वेतन नियम 2007 की प्रभावशीलता अधिष्ठि के दौरान आपसे मैं आये थे और आपसे वेतन नियम 2007 के नियम 4 के अनुसार पूर्ण सेवा के वेतन संरक्षण हेतु पूर्ण सेवा में स्थायी होना आवश्यक है। पूर्ण सेवा में स्थायीकरण न होने से श्री बुंदस को पूर्ण सेवा के वेतन संरक्षण की पावता नहीं है।
5	श्री दिल्लाशु प्रजापति (2019)	आरतीय बन सेवा मध्यप्रदेश सर्वर्ग	दिनांक 26-08-2019	श्री दिल्लाशु प्रजापति के वेतन ४ माह १४ दिन से पूर्ण सेवा में रहे हैं। आरतीय प्रशासनिक सेवा वेतन नियम 2016 के नियम ५ के अनुसार वेतन संरक्षण के लिये पूर्ण सेवा में स्थायी होना आवश्यक है चांकि श्री प्रजापति की पूर्ण सेवा में स्थायी होने की स्थिति नहीं है, अतः उनकी पूर्ण सेवा का वेतन संरक्षण का लाभ देय नहीं है।


 उप सचिव (लेख्या)
 मध्यप्रदेश शासन
 राजात्मक प्रशासन विभाग